Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 9-2025/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 14 जनवरी, 2025
(24 पौष, 1946 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का०आ०3/ह०अ०11/1994/धा०209/2025, दिनांक 14 जनवरी, 2025– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2025.	9—10
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 जनवरी, 2025

संख्या का०आ०3/ह०अ०11/1994/धा०209/2025.– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) की धारा 209 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 209 की उप–धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, इसके द्वारा, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात्, सरकार नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों के साथ, यदि कोई हों, जो आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, चंडीगढ़ द्वारा किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 में, –

(i) उप–नियम (4) में, "पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग (ए)" शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "पिछड़ा वर्ग (क) और पिछड़ा वर्ग (ख)" शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप–नियम (5) में, "और पिछड़ा वर्गों" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

(iii) उप–नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"(6) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्ड के अवधारण के बाद ही पिछड़ा वर्ग (क) के लिए आरक्षित किए जाने वाले वार्ड या वार्डों का अवधारण किया जाएगा तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित इन वार्डों को पिछड़ा वर्ग (क) के लिए वार्डों के अवधारण हेतु निकाले जाने वाले ड्रा से बाहर रखा जाएगा।

(6क) अनुसूचित जातियों और पिछड़ा वर्ग (क) के लिए आरक्षित वार्ड के अवधारण के बाद ही पिछड़ा वर्ग (ख) के लिए आरक्षित किए जाने वाले वार्ड या वार्डों का अवधारण किया जाएगा तथा अनुसूचित जातियों और पिछड़ा वर्ग (क) के लिए आरक्षित इन वार्डों को पिछड़ा वर्ग (ख) के लिए वार्डों के अवधारण हेतु निकाले जाने वाले ड्रा से बाहर रखा जाएगा।";

(iv) उप–नियम (7) में, खण्ड (क) में, "पिछड़ा वर्ग (ए)" शब्द तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "पिछड़ा वर्ग (क) और पिछड़ा वर्ग (ख)" शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 6 में,–

(i) उप–नियम (5) में, "पिछड़े वर्ग (ए)" शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "पिछड़ा वर्ग (क) और पिछड़ा वर्ग (ख)" शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप–नियम (10) में, "पिछड़े वर्ग (ए)" शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "पिछड़ा वर्ग (क) और पिछड़ा वर्ग (ख)" शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अमित कुमार अग्रवाल,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 14th January, 2025

No. S.O.3/H.A.11/1994/S.209/2025.— The following draft of the rules further to amend the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (2) of section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994), are hereby published as required by sub-section (3) of section 209 of the said Act for the information of person likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of ten days from the date of publication of this notice in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Development and Panchayats Department, Chandigarh, from any person in respect to the draft of the rules before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. These rules may be called the Haryana Panchayati Raj Election (Amendment) Rules, 2025.

2. In the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994 (hereinafter called the said rules), in rule 5, -

(i) in sub-rule (4), for the words and brackets “Backward Classes or Backward Classes (A)”, the words and brackets “Backward Classes (A) and Backward Classes (B)” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (5), the words “and Backward Classes” shall be omitted;

(iii) for sub-rule (6), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

“(6) A ward or wards to be reserved for Backward Classes (A) shall be determined only after the determination of ward reserved for Scheduled Castes and these wards reserved for Scheduled Castes shall be excluded from the draw of lots for determination of wards for Backward Classes (A).

(6A) A ward or wards to be reserved for Backward Classes (B) shall be determined only after the determination of ward reserved for Scheduled Castes and Backward Classes (A) and these wards reserved for Scheduled Castes and Backward Classes (A) shall be excluded from the draw of lots for determination of wards for Backward Classes (B).”;

(iv) in sub-rule (7), in clause (a), for the words and brackets “Backward Classes (A)”, the words and brackets “Backward Classes (A) and Backward Classes (B)” shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 6,-

(i) in sub-rule (5), for the words and brackets “Backward Classes (A)”, the words and brackets “Backward Classes (A) and Backward Classes (B)” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (10), for the words and brackets “Backward Classes (A)”, the words and brackets “Backward Classes (A) and Backward Classes (B)” shall be substituted.

AMIT KUMAR AGRAWAL,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.

11573—L.R.—H.G.P., Pkl.